30-9-97

नगर-पालिका परिषद, जौनपुर बोर्ड की बैठक दिनांक 30-9-97 (दिन मंगलवार) को अपरान्ह 4.00 बजे, नगरपालिका कार्यालय भवन में हुयी, में उपस्थित, मान्य सभासदों के नाम निम्नवत है।

1.	श्रीमती सुधारानी श्रीवास्तव	अध्यक्ष	
2	" दलगीरा	सदस्य	
3	श्री श्यामबिहारी सिंह	"	वरिष्ठ उपाध्यक्ष
4	श्रीमती चम्पादेवी चौरसिया	"	
5.	श्री ज्यारत हुसेन	"	
6	श्री गुलाबचन्द	"	
7	" अतुल कुमार सिंह "मुन्ना"	"	
8	" वकील अहमद मंसूरी	"	
9	कु० बुशरा खातून	"	
10	श्रीमती मीरा देवी	"	
11	श्री प्रमोद कुमार गुप्ता	"	
12	श्री गुलाबचन्द्र साहू	"	

(सतीशचन्द्र मिश्र)
अधिशासी अधिकारी
30-9-97

सुधारानी श्रीवास्तव
(सुधारानी श्रीवास्तव)
अध्यक्ष
30-9-97

नगर-पालिका परिषद
जौनपुर

Scanned with OKEN Scanner

30-9-97

नगर-पालिका परिषद जौनपुर की बैठक दिनांक 30-9-97 की कार्यवाही।

पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुधारानी श्रीवास्तव ने सदन में बैठक शुरू होने के पूर्व कहा कि आज शारदीय ~~भारतीय~~ नवरात्रि पर्व के पूर्व की इस बैठक में आप सभी मान्य सभासद गण अधिकारी-अधिकारी, जलकल अभियन्ता, एवं हमारे सहयोगी कर्मचारियों का स्वागत एवं अभिनन्दन है तथा सदन में नये अवर-अभियन्ता (निर्माण) श्री शोभनाथ राय, व श्री प्यारेमोहन वर्मा, कार्यवाहक प्रधानाचार्य, नगर-पालिका इन्टर कालेज, रजाबाजार, जौनपुर का सदन में परिचय कराते हुये बैठक की कार्यवाही शुरू करने हेतु श्री महेशनारायण, लिपिक, को निर्देश दिया।

	प्रस्ताव	निर्णय
1	पिछली बैठक दिनांक 30-8-97 की कार्यवाही वास्ते पुष्टि।	पिछली कार्यवाही वास्ते पुष्टि प्र विचार करते हुये सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया। श्री गुलाबचन्द्र निषाद, मान्य सभासद ने कहा कि जब मैंने मछली की तहबाजारी के सम्बन्ध में बाईलाज व शासनादेश के बारे में पूछा तो राजस्व अधीक्षक ने कहा कि नहीं ऐसा कोई बाईलाज-शासनादेश नहीं है तो इसे क्यों नहीं लिखा गया यह मेरा विरोध है, इसे नोट किया जाय, जिसे मा० अध्यक्ष ने आदेश दिया कि ठीक है, इसे नोट कर लिया जाय। आगे श्री वकील अहमद मंसूरी मान्य सभासद ने कहा कि आज की इस बैठक में आपने अध्यक्ष, सभासद भाई, अधिकारियों/कर्मचारियों को हार्दिक बधाई देता हूँ तथा पिछली कार्यवाही की पुष्टि की गयी है, लेकिन यह कहना चाहूँगा कि पिछली कार्यवाही में कई जगह लिखा है कि एक सप्ताह में रिपता

प्रस्ताव	निर्णय
	दे दी जायेगी, और कार्यवाही कर दी गयी है, लेकिन एक साल बीत गया, मुझे कोई कार्यवाही हुयी महसूस नहीं हो रहा है और न ही सूचना मिली है और बैठक पहली पाली में कराई जाय, क्योंकि यह पूर्व में भी कहा गया था और यह भी कहना चाहूँगा कि भाई श्री गुलाबचन्द्र मान्य उपाध्याय की बात को नोट कर लिया जाय, इस पर अधिशासी-अधिकारी ने मा० अध्यक्ष जी की अनुमति से कहा कि जहाँ तक श्री मुंशी साहेब, मान्य उपाध्याय ने कहा कि सूचना माँगी गयी, वह नहीं दी गयी, इस सम्बन्ध में सूचना विलम्ब से तैयार हो कर आयी है मा० अध्यक्ष जी की अनुमति से सदन में दे दिया जा रहा है।
2. निर्माण विभागीय आख्या बावत प्रस्ताव संख्या 2 पढ़ा गया।	
रोड रोलर का किराया वर्तमान महंगाई को ध्यान में रखते हुये पूर्व के 500/- पांच सौ रुपये प्रति दिन के स्थान पर 900/- नौ सौ रुपये प्रतिदिन किराया निर्धारित हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ।	अधिशासी-अधिकारी ने इस प्रस्ताव के बारे में सदन को स्पष्ट किया कि पालिका में जो रोड रोलर है, वह किराये पर जाता है जिसका किराया 500/- प्रति दिन था, जो काफी पुराना दर है जब कि पी० डब्लू० डी० में इसका रेट वर्तमान में 900/- प्रति दिन है, इसलिये एक सा रेट होना चाहिये, इससे बोर्ड को भी लाभ है, इसलिये यह प्रस्ताव लाया गया है विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

30-3-87

	प्रस्ताव	निर्णय
3.	राजस्व विभागीय आख्या बाबत किदवई पार्क के किनारे अस्थायी रूप से एवं गुमटी दुकान जो 1975 में अतिक्रमण हटाओ-अभियान के अन्तर्गत हटा दिये गये थे, साथ ही सब्जी मंडी, मातादीन पार्क की दुकानें जो मंडी समिति बन जाने के पश्चात वहाँ स्थानान्तरित कर दी गयी थीं, पर कायम डिमान्ड जो अर्से से वर्ष 1975 के पूर्व से चला आ रहा है, जिसका वहाँ पर अब अस्तित्व नहीं है, सम्बन्धी फालतू डिमाण्ड रूपया 89,474/- को डिमाण्ड रजिस्टर से समाप्त करने विषयक आख्या परिषद के निर्णय हेतु।	प्रस्ताव पढ़ा गया, इस सम्बन्ध में राजस्व अधीक्षक ने सदन में बताया कि इस प्रस्ताव में जो फालतू डिमाण्ड 89,474/- अंकित है, वह टाइप त्रुटि के कारण है, जब कि वास्तविक फालतू डिमाण्ड रु. 87,253/- सत्तासी हजार दो सौ तिरपन रुपये है, इसे संशोधित किया जाता है, यह फालतू डिमान्ड वर्ष 1975 के पूर्व की है, जो सड़क पटरी के किनारे, जो अस्थायी रूप से गुमटी भवन आदि में रहते थे, जिन्हें वर्ष 1975-76 आपात कालीन स्थिति में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जैसे कि किदवई पार्क, कोतवाली चौराहा, सब्जी मंडी के पास को हटाई गयी थी, अब वे सब नहीं मिल रहे हैं, इसलिये यह फालतू डिमाण्ड चली आ रही है, जिसे पिछली बैठक में सदन में संज्ञान में लाया गया था, और सदन द्वारा इसे प्रस्ताव के रूप में रखने हेतु निर्णय लिया था, इसलिये यह प्रस्ताव लाया गया है, सदन चाहे तो इस पर अपना निर्णय दे सकती है। इस पर श्री वकील अहमद मंसूरी, मान्य सभासद ने कहा कि मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या सिर्फ किदवई पार्क और सब्जी मंडी के ही फालतू डिमाण्ड हैं और नगर में कहीं ऐसी फालतू डिमाण्ड नहीं है? राजस्व-अधीक्षक ने बताया कि हमारे यहाँ जो डिमाण्ड रजिस्टर में अंकित है, वही फालतू डिमाण्ड है, इसके अलावा और कोई नहीं है, इस पर श्री मंसूरी मान्य सभासद

Scanned with OKEN Scanner

30-8-87

प्रस्ताव	निर्णय
	ने कहा कि पुल पर जो लोग दुकान करते थे, उन पर कोई डिमाण्ड है अथवा नहीं, इस पर राजस्व-अधीक्षक ने बताया कि नहीं, इनकी कोई डिमाण्ड नहीं रही। आगे श्री मैसूरी, मान्य सभासद ने कहा कि इस बकाया डिमान्ड की वसूली के लिये पूर्व में क्या कार्यवाई की गयी, इस पर राजस्व अधीक्षक ने बताया कि चूँकि 1975-76 में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत पालिका द्वारा दुकानें हटा दी गयी थी, इसलिये वसूली की कार्यवाई भी विचार से उचित नहीं है और नहीं वे लोग मिलते है, आगे श्री अतुलकुमार सिंह "मुन्ना" मान्य सभासद ने कहा कि पुल पर जितने कपड़े वाले दुकान लगा रखे है, इनसे तहबाजारी कौन वसूलता है, क्या इनका एलाटमेन्ट है? इस पर राजस्व-अधीक्षक ने बताया कि पुल पुरातत्व विभाग का है, जिसकी देखरेख वही करते है, इसलिये नगर-पालिका इसमें कोई कार्य नहीं कर सकती है, इस पर श्री वकील अहमद मैसूरी, मान्य सभासद ने कहा कि यदि सारी जानकारी पर्याप्त है और वे लोग नहीं मिलते हैं इसलिये इसे पूर्व के बकाया डिमाण्ड के तहत इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है और इसकी समाप्ति के लिये शासन अथवा सक्षम अधिकारी को लिखा जावे।

30-9-97

प्रस्ताव	निर्णय
4. आख्या प्रधानाचार्य, नगर पालिका इन्टर कालेज, राजाबाजार कि पुराने भवन के आठ शिक्षण कक्ष की छत तथा गैलरी की छत काफी जीर्ण होने के कारण बरसात के दिनों में छत से पानी शिक्षण-कक्षों में टपकने। चूने के कारण छत गिरने की स्थिति में हो गयी है और किसी भी समय अप्रिय घटना हो सकती है, की सुरक्षा की दृष्टिकोण से छत की मरम्मत आवश्यक है, विद्यालय में उक्त मरम्मत कार्य हेतु फण्ड उपलब्ध नहीं है, इसलिये उक्त मरम्मत कार्य हेतु प्रोजेक्ट अवर अभियन्ता द्वारा बनाये गये आगणन धनांक ₹1,32,350-00 को बोर्ड फण्ड से स्वीकार किये जाने विषयक प्रस्ताव प्रेषित अनुमोदन हेतु।	प्रस्ताव सं० 4 पढ़ा गया। इस सम्बन्ध में श्री प्रेमनाथ राय, अवर अभियन्ता (निर्माण) ने बताया कि नगर पालिका इन्टर कालेज, जौनपुर की छत की स्थिति काफी खराब है, जिसकी मरम्मत आवश्यक है। इस पर अतुलकुमार सिंह 'गुड्डू' माननीय सभासद ने कहा कि मैं यह कहना चाहूँगा कि प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाचार्या, कभी भी बोर्ड की मीटिंग में नहीं आये और न ही कभी मुझसे सम्पर्क किये, जब कि मैं शिक्षा समिति का सभापति हूँ। इस पर मा० अध्यक्ष की अनुमति से प्रधानाचार्य श्री वर्मा ने स्पष्ट किया कि मुझे कभी भी कोई सूचना मीटिंग की नहीं दी गयी है इसलिये हम नहीं आये, ऐसी बात नहीं है विद्यालय आपका है और छात्र आपके हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इस परिस्थिति में ऐसा हुआ है, अगर ऐसी बात है तो उसे अन्यथा न लिया जाय, मैं आगे से प्रयास करूँगा कि हम आपसे व्यक्तिगत सम्पर्क करना चाहते हैं लेकिन हम जानते भी नहीं हैं। अब मैं वाकिफ रहूँगा। आगे श्री गुलाबचन्द्र शाह, माननीय सभासद ने कहा कि प्रस्ताव सं० 4 जो आया है, वह ठीक है, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं और भवन क्षतिग्रस्त है, उसे बनवाना भी आवश्यक है किन्तु पहले

30-3-37

प्रस्ताव

निर्णय

जानकारी [illegible] मिलनी चाहिये, तभी यह प्रस्ताव पास किया जायेगा। आगे श्री वर्मा, प्रधानाचार्य, ने कहा कि हमारे विद्यालय में दो तरह का शुल्क है, एक तो विद्यालय के हरिजन छात्रों की शिक्षा शुल्क की क्षतिपूर्ति, जो जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिया जाना चाहिये था, वह नहीं आया, दूसरा विकास शुल्क। इसके लिये मैंने नया तरीका निकाला है, उसे अगली बोर्ड की बैठक में दे दूँगा, विद्यालय में भवन शुल्क की बात भी आयी, इस पर मान्य सभासद श्री गुलाबचन्द्र शाह ने कहा कि भवन शुल्क यदि लिया जाता है तो वह अवैध है, उसे बन्द कर दिया जाय, इस पर प्रधानाचार्य ने बताया कि मैंने भवनशुल्क बन्द कर दिया है, जबतक शासन कोई स्पष्ट नीति तय नहीं करती, उसे हम पालन करेंगे।

आगे श्री अतुलकुमार सिंह "मुन्ना" मान्य सभासद ने कहा कि उसे अगली बैठक में रखा जाय, इस पर श्री वकील अहमद मेंहदी, मान्य सभासद ने कहा कि मा० अध्यक्ष जी, आज की बैठक में प्रधानाचार्य, नगर-पालिका इन्टर-[illegible]ज आये हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ जैसा कि श्री अतुलकुमार सिंह "मुन्ना" ने कहा कि आप प्रधानाचार्य हैं तो आपको सोचना चाहिये कि शिक्षा समिति का जो गठन हुआ है तो उसका दायित्व प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्य का है, उनका दायित्व है कि वे प्रस्ताव

30-8-97

को पहले शिक्षा समिति में रखते और उसके बाद प्रस्ताव बोर्ड में लाते। इसलिये पहले विद्यालय का खेल जोहना, (आय-व्यय) का विवरण दिया जाय, और शिक्षा समिति के माध्यम से इस प्रस्ताव को पारित कराकर ही लाया जाय, इसलिए इस प्रस्ताव को स्थगित किया जाता है।

कहा कि- अधिशासी- अधिकारी ने मा० अध्यक्ष जी की अनुमति से, पिछली बैठक दिनांक 30-8-97 में मछली मार्केट की तहबाजारी से सम्बन्धित गठित 5 सदस्यीय समिति द्वारा रिपोर्ट की प्रति आ गयी है, उसे सदन में पढ़कर सुनाने हेतु राजस्व-अधीक्षक को निर्देशित किया और जाँच समिति की रिपोर्ट पढ़ी गयी। श्री वकील अहमद मेंहदी, मान्य सभासद ने कहा कि जैसा कि पूर्व बैठक में मछली मार्केट के सम्बन्ध में प्रस्ताव आया था और मुझे जिम्मेदारियां दी गयी थी कि 15 दिनों के अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाय। जहाँ तक मैंने समिति की बैठक करके देखा, किसी नियम का पालन नही किया गया, बाईलाज में कहीं देखने को नही मिला, जहाँ तक राजाज्ञा में 50% बढ़ाकर वसूली कर दिया जाय, इसके मछली के सम्बन्ध में कहीं कुछ नही लिखा है फिर भी मैंने समिति के साथ स्थल का निरीक्षण करके रिपोर्ट दिया है, जिसमें 25/- प्रति दिन बैठकी के रूप में तथा घूमकर बिना लाइसेन्स बेचने वालों पर 200/- दो सौ रुपये अर्थदण्ड प्रस्तावित किया है, इसलिये इसे पिछली बैठक दिनांक 30-8-97 के उक्त प्रस्ताव में ऐड करते हुये इसे पारित किया जाय, इस पर श्री गुलाबचन्द्र निषाद, मान्य सभासद ने विरोध प्रकट करते हुये कहा कि नहीं 25/- के स्थान पर 20/- बीस रुपया रखवा जाय और 200/- के स्थान पर 500/- रखवा जाय, इस पर काफी चर्चा हुयी और पर भी कहा कि मछली मार्केट में क्या सुविधा है, कोई सुविधा नही है, इस पर अधिशासी-अधिकारी ने कहा कि वहाँ जो निर्माण अधूरा है, उसे तेजी से कराया जायेगा और वहाँ पर प्रकाश, स्टैण्ड पोस्ट, सफाई की व्यवस्था, व पक्की आदि शीघ्र लगवा दिया जायेगा। चर्चा के उपरान्त यह तय पाया गया कि 20/- प्रति दिन बैठकी लाइसेन्स/

तहबाजारी के रूप में लिया जाए। जो इधर उधर घूमकर, बिना लाइसेंस के बेचते हैं उनसे जुर्माना के रूप में वसूल किया जाए। अधिशासी - अधिकारी ने सदन में प्रश्न स्पष्ट किया कि उक्त दर पर विभागीय वसूली कराया जाय या ठेकेदार से। इस पर श्री भैरवी, मान्य सभासद ने कहा कि जो दर उपरोक्त निर्धारित किया गया है, इसी आधार पर ठेका लगाया जाय, इस सम्बन्ध में स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर लाउडस्पीकर से प्रचार कराकर ठेका करा दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार उक्त प्रस्ताव - सर्वसम्मति से पारित किया गया।

चर्चा :-

श्री गुलाबचन्द शाह, मान्य सभासद ने कहा कि श्री दुर्गा पूजा निकट है, सफाई तो ठीक है, मधोटोला, गिलवी खाँ में पानी की आपूर्ति ठीक करायी जाय, मधोटोला में मिट्टी मिला हुआ पानी आ रहा है, जिस पर जलकल अभियन्ता को मा० अध्यक्ष द्वारा उक्त सप्लाई को चेक कराकर सुचारु रूप एवं ठीक करने हेतु आदेश दिया गया।

श्रीमती चम्पा देवी चौरसिया, मान्य सभासद ने कहा कि हुसेनाबाद में पानी नहीं मिल रहा है, लोग कहते हैं कि पानी नहीं मिलता तो हम टैक्स नहीं देंगे। लोग टुल्लू लगाकर पानी ले लेते हैं और बिना टुल्लू वालों को पानी नहीं मिलता, इस पर अंकुश लगाया जाय और पानी की सप्लाई ठीक रूप से करायी जाय, जिस पर मा० अध्यक्ष जी द्वारा जलकल अभियन्ता को मौके पर कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया।

आगे श्री गुलाबचन्द शाह, मान्य सभासद ने कहा कि अलफस्टीनगंज में कालिंग टूटी है, जिसका पैच वर्क श्री दुर्गा पूजा पर अवश्य करा दिया जाय, जिस पर मा० अध्यक्ष जी ने आश्वस्त किया कि दो एक दिन में पैच वर्क हो जायेगा।

श्री अतुलकुमार सिंह, "मुन्ना" मान्य सभासद ने कहा कि मुहल्ला दिलाजाक, पठान टोलिया में पाइप लाइन नहीं है मैंने कहा था, लेकिन स्टीमेट नहीं बना है इस पर अधिशासी - अधिकारी ने बताया कि सामान आ रहा है, सामान आते ही, इस कार्य को करा दिया जायेगा।

कु० कुशवाहा, मान्य सभासद ने कहा कि

Scanned with OKEN Scanner

30-9-97

सियार चायवाला में उनके मकान के पास एक स्ट्रीट लाइट लगवा दिया जाय, जिस पर मा० अध्यक्ष जी ने कहा कि ठीक है, सामान आ गया है, जल्द ही लगवा दिया जायेगा।

अन्त में बैठक की कार्यवाही को विराम देते हुये मा० अध्यक्ष जी ने कहा कि आज की बैठक बड़े ही सौहार्द - वातावरण में सम्पन्न हुयी, मैं सभी मान्य सभासदों, अधिकारियों / कर्मचारियों को धन्यवाद देती हूँ कि यह दशहरा का पर्व खुशहाली से हो, इसके लिये ईश्वर से कामना करती हूँ।

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अधिशासी-अधिकारी,
30-9-97

संध्यारानी श्रीवास्तव
(संध्यारानी श्रीवास्तव)
अध्यक्ष
30-9-97

नगर-पालिका परिषद,
जौनपुर।